



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2016/अग्रहायण 1, 1938

No. 420]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2016/AGRAHAYANA 1, 1938

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2016

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016

आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आईजी002.— दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31 की धारा 196, धारा 201, धारा 202, धारा 219, धारा 220 और धारा 240 के साथ पठित बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके अनुसार दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के विनियमन के ढांचे के लिए उपबंध करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

अध्याय I

प्रारंभिक

लघु शीर्ष एवं आरम्भ

- (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियमन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

- (1) इन विनियमनों में जब तक अन्यथा अभिप्रेत न हो-
 - संहिता का आशय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 है;
 - 'नियंत्रण' का अर्थ वही होगा जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) के अंतर्गत दिया गया है।
 - 'पंजीकरण प्रमाण-पत्र' का आशय बोर्ड द्वारा इन विनियमनों के अन्तर्गत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या उसके नवीनीकरण से है।

(घ) 'निवल मूल्य' का अर्थ वही होगा जो इसे कंपनी अधिनियम की धारा 2(57) के अन्तर्गत दिया गया है।

(2) जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जिसे इन विनियमनों में परिभाषित नहीं किया गया है का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संहिता में प्रदान किया गया है।

अध्याय II

पंजीकरण

पंजीकरण के लिए पात्रता

3. कोई व्यक्ति दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक की वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी न हो और –

- (क) इसका एकमात्र उद्देश्य संहिता के अन्दर दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के कार्य करने हो;
- (ख) इसके भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यवसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) 2016 के अनुसार उप-विधियां और शासी संरचना हो।
- (ग) इसकी न्यूनतम निवल मूल्य दस करोड़ रुपए हो;
- (घ) इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी पांच करोड़ रुपए हो;
- (ङ.) यह भारत के बाहर के निवासियों के व्यक्ति(व्यक्तियों) के नियंत्रण में नहीं हो;
- (च) इसकी 49% से अधिक शेयरपूंजी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत से बाहर के निवासी द्वारा धारित नहीं की जाती हो; तथा
- (छ) यह एक ऐसे निगमित निकाय की एक सहायक कंपनी नहीं है जो एक से अधिक परत के माध्यम से जुड़ी हो।

स्पष्टीकरण : "परत" निगमित निकाय के संबंध में आशय इसकी सहायक कंपनी से है

- (ज) यह कंपनी इसके प्रवर्तक निदेशक और व्यक्ति जो इसके 10% से अधिक शेयरपूंजी धारित करते हैं वे उचित एवं योग्य व्यक्ति हैं।

स्पष्टीकरण : यह निर्धारित करने के लिए कि व्यक्ति इन विनियमनों के अन्तर्गत उचित एवं योग्य हैं अथवा नहीं बोर्ड जैसा वह उचित समझे, विचार कर सकता है। परन्तु, जिसमें वह निम्नलिखित मानदंडों से जो शामिल है परंतु उनसे सीमित नहीं होगा।

- (i) सत्यनिष्ठा, ख्याति एवं चरित्र;
- (ii) दोषसिद्धि और अवरोध आदेशों की अनुपस्थिति; और
- (iii) वित्तीय शोधन क्षमता और निवल मूल्य सहित क्षमता।

पंजीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन

4. (1) एक कंपनी जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है बोर्ड को इन विनियमनों की अनुसूची के प्रारूप 'क' में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क दस लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है।

(2) एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसे विनियम 5 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है। ऐसे पंजीकरण की समाप्ति के छह महीने पहले इन विनियमनों की अनुसूची के प्रारूप 'क' में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क पांच लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है।

(3) बोर्ड इन विनियमन के अन्तर्गत आवेदन की पावती प्राप्ति के सात दिवस के भीतर देगा।

(4) बोर्ड आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को आवेदन में यदि कोई कमी हो, को दूर करने का अवसर देगा।

(5) बोर्ड आवेदक से तर्कसंगत समय के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण जो वह उचित समझे प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखेगा।

(6) बोर्ड आवेदक से तर्कसंगत समय के भीतर बोर्ड के समक्ष व्यक्तिशः और इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिये आवेदन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखेगा।

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना

5. (1) यदि बोर्ड ऐसे निरीक्षण या जांच के बाद, जो वह आवश्यक और संहिता की धारा 200 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के संबंध में संतुष्ट होने के बाद कि -

(क) विनियम 3 के अन्तर्गत पात्र है;

(ख) संहिता के अन्तर्गत इसके कार्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त अवसंरचना है;

(ग) इसके नियोजन में व्यक्तियों के पास पर्याप्त व्यावसायिक और अन्य सुसंगत अनुभव हैं जो उन्हें संहिता के अन्तर्गत कार्य निष्पादित करने के लिए सक्षम बनाता है; और

(घ) यदि उसने विनियमन 4(2) के अन्तर्गत नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है तो उसने पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए सभी शर्तों का पालन किया है।

वह आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीनीकरण दिवाला व्यावसायिक एजेंसीके रूप में गतिविधियां चलाने के लिए इन विनियमनों की अनुसूची में प्रारूप 'ख' में आवेदन की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर उस समय के अलावा जो बोर्ड ने कमियों या अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने, सूचना या स्पष्टीकरण या व्यक्तिशः उपस्थित होने या जैसा भी मामला हो में, के लिए दिया हो, जारी कर सकेगा।

(2) पंजीकरण शर्तों के अधीन होगा की दिवाला व्यावसायिक एजेंसी-

(क) संहिता, नियमों, विनियमनों और उसके अन्तर्गत दिशा-निर्देश और इसकी उपविधियों का पालन करेगी;

(ख) प्रमाण-पत्र प्राप्ति के बाद सभी समय उप-विनियम 1 के अन्तर्गत आवश्यकताओं की लगातार संतुष्टि करेंगे;

(ग) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष पांच लाख रुपए का शुल्क अदा करेंगे, उस वर्ष के बाद जिसमें प्रमाणपत्र जारी किया या नवीनीकृत किया गया था;

(घ) बोर्ड की अनुमति प्राप्त करेंगे जब व्यक्ति जो निगमित निकाय से भिन्न हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों की 10% से अधिक शेयरपूजी धारित करे;

(ङ) शिकायतों के निपटान के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे; और

(च) ऐसी अन्य शर्तें जो विनिर्दिष्ट की जाएं पालन करेंगे।

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

आवेदन निरस्त करने की प्रक्रिया

6. (1) विनियमन 4, के अन्तर्गत आवेदन पर विचार करने के बाद यदि बोर्ड की प्रथम दृष्टा राय हो की पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाए या नवीकृत या प्रदान न किया जाए या नवीकृत अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाए वह ऐसी राय कायम करने के कारणों को सूचित करेगा और आवेदक को यह बताने के लिए अवसर देगा कि क्यों उसका आवेदन स्वीकार किया जाए, बोर्ड द्वारा सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उसको अपनी अंतिम राय कायम करने में सक्षम बनाएगा।

(2) उप-नियमन (1) के अधीन आवेदक को आवेदन प्राप्ति की तारीख के 45 दिन के अंदर सूचना दी जाएगी जिसमें बोर्ड द्वारा त्रुटियों को दूर करने, अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, जैसा भी मामला हो, के लिए दिया गया समय शामिल नहीं है।

(3) उप-नियमन (1) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि हो, पर विचार करने के बाद, बोर्ड अपना निर्णय निम्नलिखित को सूचित करेगा -

(क) यथास्थिति पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ आवेदन की स्वीकृति; या

(ख) आदेश द्वारा आवेदन अस्वीकृत करना, और ऐसा करने के कारण स्पष्टीकरण प्राप्ति के 30 दिन के अंदर।

(4) पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन अस्वीकृत करने के आदेश के पश्चात दिवाला व्यावसायिक एजेंसी से अपेक्षित होगा –

- (क) लंबित दायित्वों का निर्वहन,
- (ख) किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के साथ अपने सदस्यों का नामांकन करने के लिए यथानिर्दिष्ट समय तक अपने कार्यों को जारी रखना, और
- (ग) अन्य उचित समझे जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना।

अध्याय-III

पंजीकरण लौटाना या रद्द करना

पंजीकरण लौटाना

7. (1) कोई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी बोर्ड को पंजीकरण प्रमाण पत्र लौटाने के लिए आवेदन निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत कर सकती है –

- (क) ऐसी वापसी के कारण;
- (ख) इसके साथ नामांकित दिवाला व्यावसायिकों की संहिता के अधीन सभी लंबित या चालू नियुक्तियों का विवरण;
- (ग) सभी लंबित या चालू कार्यकालाओं का विवरण;
- (घ) वह रीति जिसमें यह दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में अपने कार्यों के समापन का प्रयास कर रही है।

(2) यह बोर्ड आवेदन प्राप्ति के सात दिन के अंदर उस आवेदन की प्राप्ति की एक सूचना अपनी वेबसाइट पर रखेगा और पंजीकरण वापसी के लिए आपत्तियां आमंत्रित करेगा जो सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी।

(3) उप नियमन (2), के अधीन प्रस्तुत आवेदन और आपत्तियों, यदि हों, पर विचार करने के बाद यह बोर्ड आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 30 दिन के अंदर ऐसी शर्तों, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, के अधीन पंजीकरण की वापसी के आवेदन को अनुमोदित करेगा।

(4) उप-नियमन (3) के अधीन अनुमोदन के लिए दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होगा –

- (क) कोई लंबित दायित्व पूरे करना; या
- (ख) किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के साथ अपने सदस्यों का नामांकन करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट समय तक अपने कार्यों को जारी रखना।

(5) यह बोर्ड संतुष्ट होने पर कि उक्त नियमन (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस प्रकाशित करेगा कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा पंजीकरण की वापसी प्रवृत्त हो गई है।

अनुशासनिक कार्यवाही

8. (1) जांच या निरीक्षण के निष्कर्षों या अन्यथा उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यदि इस बोर्ड का प्रथम दृष्टया यह मत है कि धारा 220 के अधीन अनुमेय कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण हैं तो वह दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(2) यह कारण बताओ नोटिस लिखित रूप में होगा और इसमें बताया जाएगा –

- (क) संहिता के उपबंध जिनके अधीन यह जारी किया गया है;
- (ख) तथाकथित तथ्यों के ब्यौरे;
- (ग) तथाकथित तथ्यों के समर्थन में साक्ष्यों के ब्यौरे;
- (घ) संहिता, इसके अधीन नियमों, विनियमनों या दिशानिर्देशों के उपबंध जिनके अधीन उल्लंघन का आरोप है या वह रीति जिसमें जनहित तथाकथित रूप से प्रभावित हुआ है;

- (ड) वह कार्रवाई या निदेश जो यह बोर्ड आरोप प्रमाणित होने पर करने या जारी करने का प्रस्ताव करता है;
- (च) वह रीति जिसमें दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर देना अपेक्षित है;
- (छ) कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर न देने के परिणाम; और
- (ज) कारण बताओ नोटिस के निपटान के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया।
- (3) कारण बताओ नोटिस के साथ संबंधित दस्तावेजों और जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट के संबंधित भागों के उद्धरण या अन्य रिकार्डों की प्रतिलिपियां लगाई जाएंगी।
- (4) कारण बताओ नोटिस किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को निम्नलिखित रीति से दिया जाएगा –
- (क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को इसके पंजीकृत कार्यालय में पावती की अपेक्षा के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर;
- (ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा बोर्ड को दिए गए ई-मेल पते पर समुचित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा।
- (5) यह बोर्ड कारण बताओ नोटिस के निपटान के लिए एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगा।
- (6) अनुशासनिक समिति जो उपनियम (5) के अधीन गठित की गई हो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए तर्कसंगत रूप से दिए गए कारण बताओ नोटिस का निपटान करेगी।
- (7) अनुशासनिक समिति कारण बताओ नोटिस सौंपे जाने के छः माह के अंदर निपटान करने का प्रयास करेगी।
- (8) अनुशासनिक समिति दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत विवरण, यदि हो, पर विचार करेगी।
- (9) अनुशासनिक समिति संबंधित भौतिक तथ्यों और परिस्थितियों तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद एक तर्कसंगत आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस का निपटान करेगी।
- (10) कारण बताओ नोटिस के निपटान के आदेश में प्रावधान होगा-
- (क) कोई कार्रवाई नहीं;
- (ख) चेतावनी;
- (ग) धारा 220(2) से (4) के अधीन कोई कार्रवाई; या
- (घ) बोर्ड को धारा 220(5) के अधीन कोई कार्रवाई करने का निदेश देना।
- (11) उक्त नियमन (10) के अधीन पारित कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आदेश जारी करने की तारीख के बाद तीस दिन समाप्त न हो जाएं और अनुशासनिक समिति अपने आदेश में ऐसा करने कारणों के साथ अन्यथा न कहे।
- (12) उक्त नियमन (10) के अधीन पारित आदेश दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को तत्काल जारी किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
- (13) यदि उप-नियमन (10) के अधीन पारित कोई आदेश दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पंजीकरण को निलंबित या रद्द करता है तो अनुशासनिक समिति दिवाला व्यावसायिक एजेंसी से अपेक्षा करेगी –
- (क) लंबित दायित्वों को पूरा करना;
- (ख) किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के साथ अपने सदस्यों को नामांकित करने के लिए ग्रथानिर्दिष्ट समय तक अपने कार्यों को जारी रखना; और
- (ग) उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य निदेश का अनुपालन करना।

अपील

9. संहिता की धारा 202 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 के भाग-III में विहित रीति से आरोप आदेश प्राप्ति के तीस दिन के अंदर अपील की जा सकती है।

अध्याय-IV

सैद्धांतिक अनुमोदन

सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना

10. (1) कोई व्यक्ति जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी स्थापित करना चाहता है, यह प्रदर्शित करते हुए कि उप विनियमन (2) में सभी शर्तों को पूरा किया गया है, दस लाख रुपए की गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन फीस के साथ सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) यदि बोर्ड आवश्यक समझे जाने वाले निरीक्षण या जांच के बाद संतुष्ट है कि –

(क) आवेदक एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है; और

(ख) प्रस्तावित या विद्यमान कंपनी जो पंजीकरण प्राप्त कर सकती है, विनियमन 5(1) के अधीन पंजीकरण प्रदान करने के लिए अपेक्षाओं को पूरा करेगी,

सैद्धांतिक अनुमोदन दे सकता है जो अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा और उपयुक्त समझे जाने वाली शर्तों के अधीन होगा।

(3) सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता के दौरान उक्त नियमन 2(ख) में उल्लिखित कंपनी बोर्ड को उप-नियमन 4(1) के अनुरूप दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में पंजीकरण के प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकती है परंतु उसे पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

अनुसूची

प्रारूप क

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016 के विनियम 4 के तहत)

सेवा में,

अध्यक्ष

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

[पता लिखें]

प्रेषक

[नाम और पता]

विषय : दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन।

महोदय/महोदया,

1. मैं, इस उद्देश्य के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हूं और, (आवेदक का नाम और पता) की ओर से निम्नलिखित के लिए आवेदन करता हूं

(क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने हेतु, अथवा

(ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु,

यह आवेदन करने के लिए और इस संबंध में बोर्ड के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए मुझे प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक प्रति संलग्न करता हूं।

2. आवेदक के संगम अनुच्छेद, संगम ज्ञापन और उप-विधियों, जो लागू हैं, की एक-एक प्रति संलग्न की गई हैं।

3. मैं, [नाम लिखें] की ओर से प्रतिज्ञान करता हूँ कि आवेदक एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्टर किए जाने का पात्र है।
4. मैं, [नाम लिखें] की ओर से प्रतिज्ञान करता हूँ कि -
 - (क) इस आवेदन में दी गई समस्त सूचना सत्य और सभी प्रकार से सही है,
 - (ख) इस आवेदन के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है, और
 - (ग) इस आवेदन के अनुसरण में किया गया रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण संक्षेपतः रद्द किया जा सकता है, यदि दी गई कोई भी सूचना गलत या किसी भी स्तर पर तथ्यात्मक रूप से भ्रामक पायी जाती है।
5. यदि रजिस्ट्रीकरण किया जाता है तो मैं, [नाम लिखें] की ओर से वचन देता हूँ कि संहिता, नियमों, विनियमों या इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों और अन्य कोई शर्तों और निबंधनों, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दी गई है या बाद में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या लागू की जाने वाली अपेक्षाओं का पालन करूंगा।

भवदीय,

हस्ताक्षरित

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

दिनांक :

स्थान :

प्रारूप 'क' का अनुलग्नक**भाग I****सामान्य**

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता
3. कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
4. स्थायी खाता संख्या (पैन)
5. उस व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क का विवरण, जिसे यह आवेदन करने और इस संबंध में बोर्ड के साथ पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भाग II**संगम****संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और उप-विधियां**

6. कृपया बताएं कि क्या संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और उप-विधियां भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यवसायिक एजेंसियों का शासकीय बोर्ड) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायिक एजेंसियां) विनियम, 2016 के अपेक्षित सभी मामलों की अपेक्षाओं और अनुपालन हो रहा है

(हां/नहीं)

7. कृपया उप-विधियों के प्रावधानों की खंड संख्या का उल्लेख करें, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यवसायिक एजेंसियों का शासकीय बोर्ड) विनियम, 2016 में विनिर्दिष्ट आदर्श उप-विधियों के प्रावधानों के अलावा है (यदि कोई है तो)।

भाग III

शेयरधारिता और वित्तीय सुदृढता

8. कृपया आवेदक की शेयर पूंजी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10% से अधिक शेयर धारित व्यक्तियों का विवरण दें।

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम और पता	पैन/पासपोर्ट संख्या और जारी करने वाला देश/कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या	आवेदक कंपनी और/अथवा धारित कंपनी में शेयर धारित का प्रतिशत

9. क्या भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास आवेदक की शेयरपूंजी का 49% से अधिक औसत शेयर है? कृपया विवरण दें।
10. आवेदक पर किसका नियंत्रण है? कृपया विवरण दें।
11. क्या भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति का प्रबंध या आवेदक के नीति निर्णयों पर नियंत्रण होता है? यदि हां तो कृपया विवरण दें।
12. कृपया निम्नलिखित का पिछले तीन वर्षों या कंपनी के निगमन के तारीख से, जो भी कम है, का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दें :-
- (क) ऐसी कंपनी, जिसके पास आवेदक की शेयरपूंजी का 10% से अधिक है (यदि कोई है तो)
- (ख) ऐसी कंपनी, जिस पर आवेदक का नियंत्रण है (यदि कोई है तो),
- (ग) प्रवर्तक कंपनी (यदि कोई है तो),
- (घ) स्वयं आवेदक।
13. कृपया यह बताने के लिए कोई भी अन्य सूचना दें कि कंपनी की शेयर पूंजी का 10% से अधिक शेयर धारण करने वाले व्यक्ति और कंपनी के प्रवर्तक उचित और सही व्यक्ति है।

भाग IV

निदेशक और कर्मचारी

14. कृपया आवेदक के निदेशक मंडल का विवरण दें :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम और पता	डीआईएन और पैन	निदेशकों के विरुद्ध कोई लंबित या समाप्त आपराधिक कार्रवाई का विवरण

15. कृपया यह बताने के लिए कोई अन्य सूचना दें कि निदेशक उचित और सही व्यक्ति हैं।
16. कृपया कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या बताएं।

भाग V**अवसंरचना**

17. कृपया आवेदक की वर्तमान अवसंरचना और एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में अपने कार्य करने के लिए तथा इसे योग्य बनाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचना का निम्नलिखित सहित उल्लेख करें :
- (क) कार्यालयों की संख्या और स्थान,
 (ख) नामांकन, निगरानी, शिकायत निवारण और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में अवसंरचना,
 (ग) सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर सुविधाएं, और
 (घ) पुस्तकालय और प्रशिक्षण सुविधाएं।

भाग VI**अनुपालन****[रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन हेतु]**

18. कृपया दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुपालन का विवरण दें।
 19. कृपया दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा रिपोर्टिंग के संबंध में बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण दें।
 20. कृपया दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के विरुद्ध या इसके द्वारा इसकी उप-विधियों, बोर्ड के किसी विनियम या संहिता के तहत की गई कोई शिकायत निवारण कार्रवाई का विवरण दें।

कृपया ऐसा अन्य कोई विवरण भी दें जो आप अपने आवेदन के समर्थन में प्रासंगिक मानते हैं।

हस्ताक्षरित

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

दिनांक :

स्थान :

अनुसूची**प्रारूप ख****भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसरण में दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए _____ [नाम और पता लिखें] के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अनुमोदित/नवीनीकरण करता है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिनांक [प्रारंभ होने की तारीख लिखें] से दिनांक [समाप्त होने की तारीख लिखें] तक वैध होगा और इसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

हस्ताक्षरित

(नाम और पदनाम)

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के लिए और की ओर से)

स्थान :

दिनांक :

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III /4/असा./309]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2016

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016

IBBI/2016-17/GN/REG002..— In exercise of the powers conferred by sections 196, 201, 202, 219, and 220 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Board hereby makes the following Regulations to provide a framework for regulation of insolvency professional agencies in terms hereof, namely-

CHAPTER I**PRELIMINARY****Short title and commencement.**

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016.
- (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires -
 - (a) “Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;
 - (b) “control” shall have the same meaning as assigned to it in section 2(27) of the Companies Act, 2013;
 - (c) “certificate of registration” means a certificate of registration granted or renewed by the Board under these Regulations;
 - (d) “net worth” shall have the same meaning as assigned to it under section 2(57) of the Companies Act, 2013.
- (2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these Regulations, shall have the meanings assigned to them in the Code.

CHAPTER II**REGISTRATION****Eligibility for registration.**

3. No person shall be eligible to be registered as an insolvency professional agency unless it is a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013, and -
 - (a) its sole object is to carry on the functions of an insolvency professional agency under the Code;
 - (b) it has bye-laws and governance structure in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies), 2016;
 - (c) it has a minimum net worth of ten crore rupees;
 - (d) it has a paid-up share capital of five crore rupees,
 - (e) it is not under the control of person(s) resident outside India,
 - (f) not more than 49% of its share capital is held, directly or indirectly, by persons resident outside India; and
 - (g) it is not a subsidiary of a body corporate through more than one layer:

Explanation: “layer” in relation to a body corporate means its subsidiary;
 - (h) itself, its promoters, its directors and persons holding more than 10% of its share capital are fit and proper persons.

Explanation: For determining whether a person is fit and proper under these Regulations, the Board may take account of any consideration as it deems fit, including but not limited to the following criteria-

 - (i) integrity, reputation and character,
 - (ii) absence of convictions and restraint orders, and
 - (iii) competence including financial solvency and net worth.

Application for registration or renewal thereof.

4. (1) A company eligible for registration as an insolvency professional agency, may make an application to the Board in Form A of the Schedule to these Regulations, along with a non-refundable application fee of ten lakh rupees.

(2) An insolvency professional agency who has been granted registration under Regulation 5, may six months before the expiry of such registration, make an application for renewal in Form A of the Schedule to these Regulations, along with a non-refundable application fee of five lakh rupees.

(3) The Board shall acknowledge an application made under this Regulation within seven days of its receipt.

(4) The Board shall examine the application, and give an opportunity to the applicant to remove the deficiencies, if any, in the application.

(5) The Board may require the applicant to submit, within reasonable time, additional documents, information or clarification that it deems fit.

(6) The Board may require the applicant to appear, within reasonable time, before the Board in person, or through its authorised representative for clarifications required for processing the application.

Grant of certificate of registration.

5. (1) If the Board is satisfied, after such inspection or inquiry as it deems necessary and having regard to the principles specified in section 200 of the Code, that the applicant:—

(a) is eligible under Regulation 3;

(b) has adequate infrastructure to perform its functions under the Code;

(c) has in its employment, persons having adequate professional and other relevant experience, to enable it to perform its functions under the Code; and

(d) has complied with the conditions of the certificate of registration, if he has submitted an application for renewal under Regulation 4(2)

it may grant or renew a certificate of registration to the applicant to carry on the activities of an insolvency professional agency in Form B of the Schedule to these Regulations, within sixty days of receipt of the application, excluding the time given by the Board for removing the deficiencies, or presenting additional documents, information or clarification, or appearing in person, as the case may be.

(2) The registration shall be subject to the conditions that the insolvency professional agency shall -

(a) abide by the Code, rules, regulations, and guidelines thereunder and its bye-laws;

(b) at all times after the grant of the certificate continue to satisfy the requirements under sub-regulation (1);

(c) pay a fee of five lakh rupees to the Board, payable every year after the year in which the certificate is granted or renewed;

(d) seek approval of the Board when a person, other than a statutory body, seeks to hold more than ten per cent, directly or indirectly, of the share capital of the insolvency professional agency;

(e) take adequate steps for redressal of grievances; and

(f) abide by such other conditions as may be specified.

(3) The certificate of registration shall be valid for a period of five years from the date of issue.

Procedure for rejecting application.

6. (1) If, after considering an application made under Regulation 4, the Board is of the *prima facie* opinion the registration ought not be granted or renewed, or be granted or renewed with additional conditions, it shall communicate the reasons for forming such an opinion and give the applicant an opportunity to explain why its application should be accepted, within fifteen days of the receipt of the communication from the Board, to enable it to form a final opinion.

(2) The communication under sub-regulation (1) shall be made to the applicant within forty five days of receipt of the application, excluding the time given by the Board for removing the deficiencies, presenting additional documents, information or clarifications, or appearing in person, as the case may be.

(3) After considering the explanation, if any, given by the applicant under sub-regulation (1), the Board shall communicate its decision to-

(a) accept the application, along with the certificate of registration, or

(b) reject the application by an order, giving reasons thereof

within thirty days of receipt of explanation.

(4) The order rejecting an application for renewal of registration shall require the insolvency professional agency to-

(a) discharge pending obligations;

- (b) continue its functions till such time as may be specified, to enable the enrolment of its members with another insolvency professional agency; and
- (c) comply with any other directions as considered appropriate.

CHAPTER III

SURRENDER OR CANCELLATION OF REGISTRATION

Surrender of registration.

7. (1) An insolvency professional agency may submit an application for surrender of a certificate of registration to the Board, providing -
- (a) the reasons for such surrender;
 - (b) the details of all the pending or on-going engagements under the Code of the insolvency professionals enrolled with it;
 - (c) details of its pending or on-going activities; and
 - (d) the manner in which it seeks to wind-up its affairs as an insolvency professional agency.
- (2) The Board shall within seven days of receipt of the application, publish a notice of receipt of such application on its website and invite objections to the surrender of registration, to be submitted within fourteen days of the publication of the notice.
- (3) After considering the application and the objections submitted under sub-regulation (2), if any, the Board may within thirty days from the last date of submission of objections, approve the application for surrender of registration subject to such conditions as it deems fit.
- (4) The approval under sub-regulation (3) may require the insolvency professional agency to-
- (a) discharge any pending obligations; or
 - (b) continue its functions till such time as may be specified, to enable the enrolment of its members with another insolvency professional agency.
- (5) The Board, after being satisfied that the requirements of sub-regulation (4) have been complied with, shall publish a notice on its website stating that the surrender of registration by the insolvency professional agency has taken effect.

Disciplinary proceedings.

8. (1) Based on the findings of an inspection or investigation, or on material otherwise available on record, if the Board is of the *prima facie* opinion that sufficient cause exists to take actions permissible under section 220, it shall issue a show-cause notice to the insolvency professional agency.
- (2) The show-cause notice shall be in writing, and shall state-
- (a) the provisions of the Code under which it has been issued;
 - (b) the details of the alleged facts;
 - (c) the details of the evidence in support of the alleged facts;
 - (d) the provisions of the Code, rules, regulations or guidelines thereunder allegedly violated, or the manner in which the public interest is allegedly affected;
 - (e) the actions or directions that the Board proposes to take or issue if the allegations are established;
 - (f) the manner in which the insolvency professional agency is required to respond to the show-cause notice;
 - (g) consequences of failure to respond to the show-cause notice; and
 - (h) procedure to be followed for disposal of the show-cause notice.
- (3) The show- cause notice shall enclose copies of relevant documents and extracts of relevant portions from the report of investigation or inspection, or other records.
- (4) A show-cause notice issued shall be served on the insolvency professional agency in the following manner-
- (a) by sending it to the insolvency professional agency at its the registered office, by registered post with acknowledgement due; or

(b) by an appropriate electronic means to the email address provided by the insolvency professional agency to the Board.

(5) The Board shall constitute a Disciplinary Committee for disposal of the show- cause notice.

(6) The Disciplinary Committee shall dispose of the show-cause notice assigned under (5) by a reasoned order in adherence to principles of natural justice.

(7) The Disciplinary Committee shall endeavour to dispose of the show-cause notice within a period of six months of the assignment.

(8) The Disciplinary Committee shall consider the submissions, if any, made by the insolvency professional agency.

(9) After considering the relevant material facts and circumstances and material on record, the Disciplinary Committee shall dispose of the show-cause notice by a reasoned order.

(10) The order in disposal of a show-cause notice may provide for-

(a) no action;

(b) warning;

(c) any of the actions under section 220(2) to (4); or

(d) a reference to the Board to take any action under section 220(5).

(11) The order passed under sub-regulation (10) shall not become effective until thirty days have elapsed from the date of issue of the order unless the Disciplinary Committee states otherwise in the order along with the reason for the same.

(12) The order passed under sub-regulation (10) shall be issued to the insolvency professional agency immediately, and published on the website of the Board.

(13) If the order passed under sub-regulation (10) suspends or cancels the registration of the insolvency professional agency, the Disciplinary Committee shall require the insolvency professional agency to-

(a) discharge pending obligations;

(b) continue its functions till such time as may be specified, to enable the enrolment of its members with another insolvency professional agency; and

(c) comply with any other directions as considered appropriate.

Appeal.

9. An appeal may be preferred under section 202 of the Code, within a period of thirty days of receipt the impugned order in the manner prescribed in Part III of the National Company Law Tribunal Rules, 2016.

CHAPTER IV

IN-PRINCIPLE APPROVAL

Grant of in-principle approval.

10. (1) Any person who seeks to establish an insolvency professional agency may make an application for an in-principle approval, demonstrating that the conditions in sub-regulation (2) are satisfied, along with a non-refundable application fee of ten lakh rupees.

(2) If the Board is satisfied, after such inspection or inquiry as it deems necessary, that:-

(a) the applicant is a fit and proper person; and

(b) the proposed or existing company which may receive registration would be able to meet the requirements for grant of registration under Regulation 5(1),

it may grant in-principle approval which shall be valid for a period not exceeding one year and be subject to such conditions as it deems fit.

(3) During the validity of in-principle approval, the company referred to sub-regulation 2(b) may make an application for a certificate of registration as an insolvency professional agency to the Board in accordance with Regulation 4(1), but shall not be required to pay the application fees for registration.

SCHEDULE**FORM A****Application for Certificate of Registration**

(Under Regulation 4 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016)

To

The Chairperson

The Insolvency and Bankruptcy Board of India

[Insert address]

From

[Name and address]

Subject: Application for grant or renewal of certificate of registration as insolvency professional agency

Madam/Sir,

1. I, being duly authorized for the purpose, hereby apply on behalf of *[name and address of the applicant]* for
 - (a) grant of certificate of registration as insolvency professional agency, or
 - (b) renewal of certificate of registration as insolvency professional agency,
 and enclose a copy of the board resolution authorizing me to make this application and correspond with the Board in this respect.
2. Copies of the memorandum of association, articles of association and the bye-laws, as applicable, of the applicant are enclosed.
3. I, on behalf of *[insert name]*, affirm that the applicant is eligible to be registered as an insolvency professional agency.
4. I, on behalf of *[insert name]*, hereby affirm that –
 - (a) all information contained in this application is true and correct in all material respects,
 - (b) no material information relevant for the purpose of this application has been suppressed, and
 - (c) registration granted or renewed in pursuance of this application may be cancelled summarily if any information submitted is found to be false or misleading in material respects at any stage.
5. If granted registration, I, on behalf of *[insert name]*, undertake to comply with the requirements of the Code, the rules, regulations or guidelines issued thereunder, and such other conditions and terms as may be contained in the certificate of registration or be specified or imposed by the Board subsequently.

Yours faithfully,

Sd/-

Authorized Signatory

(Name)

(Designation)

Date :

Place :

ANNEXURE TO FORM A**PART I****GENERAL**

1. Name of the applicant.
2. Address of registered office and principal place of business of the applicant.
3. Corporate Identification Number (CIN).
4. PAN.

5. Name, designation and contact details of the person authorized to make this application and correspond with the Board in this respect.

PART II

MEMORANDUM OF ASSOCIATION, ARTICLES OF ASSOCIATION AND BYE-LAWS

6. Please state if the memorandum of association, articles of association and bye-laws provide for all matters as required in, and are consistent with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, and the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016.

(Yes/ No)

7. Please specify the clause number of the provisions of the bye-laws which are in addition to the provisions of the model bye-laws specified in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 (if any).

PART III

SHAREHOLDING AND FINANCIAL STRENGTH

8. Please provide details of the persons holding more than 10%, directly or indirectly, of the share capital of the applicant.

Sl. No.	Name and address of the shareholder	PAN / Passport No and country of issue/ company registration number	Percentage of shareholding in the applicant company and/ or holding company

9. Do persons resident outside India in aggregate hold more than 49% of the share capital of the applicant? Please provide details.
10. Who exercises control over the applicant? Please provide details.
11. Do persons resident outside India exercise control over the management or policy decisions of the applicant? If so, please provide details.
12. Please provide audited financial statements of:
- a company holding more than 10% of the share capital of the applicant (if any),
 - a company who is in control of the applicant (if any),
 - promoter company (if any),
 - the applicant,

of the last three years or from the date of incorporation of the company, whichever is less.

13. Please provide any other information to demonstrate that the persons holding more than 10% of the share capital of the company, and the promoters of the company are fit and proper persons.

PART IV

DIRECTORS AND EMPLOYEES

14. Please state the details of the applicant's Board of Directors:

Sl. No.	Name and address of the director	DIN and PAN	Details of any pending or concluded criminal proceedings against the directors

15. Please provide any other information to demonstrate that the directors are fit and proper persons.
16. Please provide number of employees, category-wise.

PART V
INFRASTRUCTURE

17. Please state the infrastructure the applicant currently has and proposes to have to enable it to discharge its functions as an insolvency professional agency, including:
 - (a) the number and locations of offices,
 - (b) infrastructure in respect of enrolment, monitoring, grievance redressal and disciplinary proceedings,
 - (c) IT and other computer facilities, and
 - (d) library and training facilities.

PART VI
COMPLIANCE

[For applications for renewal of registration]

18. Please provide details of the insolvency professional agency's compliance with the conditions of its certificate of registration.
19. Please provide details of the insolvency professional agency's compliance with the Board's requirements in respect of reporting.
20. Please provide details of any grievance redressal proceedings instituted against the insolvency professional agency or by it under its bye-laws, any regulations of the Board or the Code.

Please provide any other details you consider relevant in support of the application.

Sd/-
Authorized Signatory
(Name)
(Designation)

Date :

Place :

SCHEDULE
FORM B

THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Certificate of Registration No. _

The Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby grants/ renews this certificate of registration to/of _____ *[insert name and address]* to act as an insolvency professional agency in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

The certificate of registration shall be valid from *[insert start date]* to *[insert end date]* and may be renewed.

Sd/-
(Name and Designation)
(For and on behalf of Insolvency and Bankruptcy Board of India)

Place :

Date:

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./309]